न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 263/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/419

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.मांगीलाल पुत्र हरजीराम 2.जगाराम पुत्र अमराराम 3.प्रतापराम पुत्र अमराराम 4.पुखराज पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 5.बिदामीदेवी पुत्री अमराराम पत्नि माणकराम जाति नाई निवासी बिजवाड़िया तहसील ओसिया जिला जोधपुर 6.केसीदेवी पुत्री अमराराम पत्नि पोलाराम जाति नाई निवासी भांडूकलां तहसील लूणी जिला जोधपुर		1.देवाराम पुत्र सोनाराम 2.मदनलाल पुत्र तुलसाराम 3.भोमाराम पुत्र तुलसाराम जाति नाई निवासी छाछरलाई कलां तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

<u>उपस्थिति—</u>

1.श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3
3.विप्रार्थी संख्या 4 अनुपस्थित।

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा (S.D.O.)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व आवेदन संख्या 263/2025
मांगीलाल बनाम देवाराम वगैरा

आदेश

दिनांक– 11.11.2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 4 से 8 की पुश्तैनी भूमि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 153,155, 153 कुल क्षेत्रफल 27.8100 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण व दुर्गा के परिवार का वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से आदिनांक कब्जा–काश्त चल रही है। इसी प्रकार ग्राम नेवरी कला की खसरा संख्या 300 में भी प्रार्थीगण व दुर्गा के परिवार वाले काबिज है,लेकिन विवादित भूमि मे वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम विवादित भूमि दर्ज होने के बजाय विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी सोनाराम के नाम गलत तरीके से खातेदारी दर्ज हुए। उक्त अवैध प्रविष्टि के आधार पर विप्रार्थी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि बेचान करने की धमकिया देने व कब्जा–काश्त में बेदखल करने की कोशिश की जा रही है,यदि विप्रार्थी संख्या 1 इसमे सफल हो गया,तो प्रार्थीनी के वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा तथा प्रार्थीनी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण प्रार्थीगण की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 31.7.2025 के द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थायी निषेघाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थीगण की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 से 03 ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्राथीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 04 की ओर से जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी संख्या 4 अनुपस्थित रहे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थीगण को सफल होने की पूरी संभावना है। प्रार्थीगण व दुर्गाराम के परिवार की पुश्तौनी भूमि ग्राम बांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 153,155 व 163 कुल क्षेत्रफल 27.8100 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,जिस पर प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हरजी का वक्त सेटलमेन्ट से बाद में उनके वारिसान का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी,मवेशी के बाड़े इत्यादि बने हुए है। इसी प्रकार ग्राम नेवरी की खसरा संख्या 300 मे भी प्रार्थीगण व दुर्गा के परिवार का 1/2 हिस्सा है,तथा मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी का पुश्तैनी धंधा नाई का होने के कारण जागीरी समय में हरजीराम को ग्राम बांकियावास कलां व बांकियावास खुर्द अपने पुश्तैनी धंधे हेतु दिए गए। सोनाराम को ग्राम नेवरी व नेवरी ढाणा तथा मगनाराम के दो ग्राम छाछरलाई खुर्द व सीतली पुरोहितान भाई बंट में नाई धंधे में मिले। इसी अनुसार भाई बंट में भूमि की दी गई तथा तीनो भाईयों का भाई बंट प्राप्त ग्राम में भूमि पर काबिज हुए। भभूताराम के परिवार में विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी सोनाराम बड़ा भाई था,प्रार्थीगण को हक हकूको से वंचित रखने के लिए विवादित भूमि मे अपना नाम दर्ज करवा दिया,जबकि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी व प्रार्थीगण कम पढे लिखे एवं गांव मे निवासी होने एवं कानूनी जानकारी के अभाव के कारण रेकर्ड देखने का काम नहीं पड़ा था,जबकि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हरजीराम का वक्त सेटलमेट से व बाद मे प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि मे गलत नाम दर्ज को हटवाने हेतु विप्रार्थी को निवेदन किया था तथा उन द्वारा विवादित भूमि मे नाम हटवाने का आश्वासन दिया था,कि विवादित भूमि में हमारा हक हिस्सा नहीं है,हम अपना नाम हटा देंगे,लेकिन झूठे आश्वासन दिए जाने के अलावा उन द्वारा नाम हटवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभी दावा लाने से कुछ वक्त पूर्व विवादित भूमि,जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं,में विप्रार्थी द्वारा बेदखल करने की धमकिया दी गई तथा विवादित भूमि बेचान करने का प्रयास किया जा रहा है,जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से आदिनांक काबिज होकर चला आ रहा है,विवादित भूमि मे प्रार्थीगण का ही हक हिस्सा निहित है,लेकिन रेकर्ड में विप्रार्थी के नाम की गलत प्रविष्टि दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को बेचान करने का प्रयास किया जा रहा हैं,जो कि विप्रार्थी इसके हकदार नहीं है। कि ग्राम बांकियावास कलां की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 154,ग्राम छांछरलाई कलां की खसरा संख्या 127 व 224 व ग्राम धतरवालों की ढाणी की खसरा संख्या 124, 185, 192, 193 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व मगनाराम के नाम सही दर्ज हो रखी हैं। विवादित भूमि के संबंध में पारिवारिक बंटवाड़ा में भी दिनांक 03.06.2015 को विवादित भूमि में प्रार्थीगण के हक हकूक होना स्वीकार कर लिखित सहमति पत्र दिया गया था तथा ग्राम के भूतपूर्व जागीरदार द्वारा भी लिखित शपथ–पत्र पेश कर ताईद की है कि विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट पूर्व से आदिनांक कब्जा–काश्त प्रार्थीगण का ही है,विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कोई हक हकूक नहीं हैं। इस प्रकार यह भली–भांति साबित है कि प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनते हैं। इस कारण विवादित भूमि पर जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना आवश्यक है,यदि स्थगन आदेश को हटाया जाता है,तो विप्रार्थी विवादित भूमि का बेचान कर देगे तथा मौका की स्थिति मे फेरबदल हो जावेगा, जिसके कारण प्रार्थीगण को क्षति होगी। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.7.2025 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावे।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 से 03 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थीगण ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदारी हैं तथा खातेदारी 75 वर्षो से चली आ रही हैं,विवादित भूति पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने के तथ्य मिथ्या लिखे गए है,जबकि वास्तविक यह है कि विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक कब्जा–काश्त सोनाराम व उसके बाद उनके वारिसान विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का चला आ रहा हैं। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है,कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी को पुश्तैनी धंधा नाई का करने से ग्राम बांकियावास कला,बांकियावास खुर्द व नेवरी ढाणां तथा छांछरलाई खुर्द, सितली पुरोहितान में भूमि हिस्से में दी हो,बल्कि सही तथ्य यह है कि जिस प्रकार मौके पर वक्त सेटलमेन्ट काबिज होकर काश्त करते थे,उसी अनुसार भूमि के राजस्व रेकर्ड में खातेदारी प्रविष्टिया अंकित की गई। सेटलमेन्ट के समय भभूताराम के सभी पुत्रान् सोनाराम, हरजीराम व मगनाराम बालिक थे,जो अलग–अलग निवासरत थे एवं कुछ गांवो में एकल तौर से काबिज रहकर काश्त करते थे,इसी कड़ी में सेटलमेन्ट के दरम्यान् जो व्यक्ति मौके पर काश्त करता था तथा जिसने लगान अदा किया,उसके नाम संवत् 2009 में पर्चा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लगान जारी किया गया,पर्चा लगान में निर्धारित लगान की राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा अदा की, ताबाद ऐसे व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किए हैं,इस प्रकार ग्राम नेवरी ढाणा में अवस्थित भूमि खसरा सख्या 300 पर वक्त सेटलमेन्ट सोनाराम का कब्जा काश्त था,इसलिए सोनाराम के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया,सोनाराम ने पर्चा लगान की पालना में लगान की सारी राशि सरकार को अदा की,इसी कडी में पर्चा खतौनी विप्रार्थी के हक पूर्वाधिकारी सोनाराम के नाम से जारी हुई,तब से आदिनांक सोनाराम व उसके बाद उनके वारिसान विप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे हरजीराम, मंगलाराम या उनके वारिसान का कोई सरोकार न तो कभी रहा है और न है, न मौके पर कोई कब्जा काश्त हो रहा हैं और न ही है। प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि ग्राम बांकियावास कलां व खुर्द में विप्रार्थी का नाम भूल से डलवा दिया हो,जबकि मौके पर कब्जा काश्त के अनुसरण में सही तौर से वक्त सेटलमेन्ट से नाम दर्ज हुआ,जिसे हटाने का अधिकार प्रार्थीगण को नहीं हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि विप्रार्थी पक्ष ने न तो कभी नाम हटाने सहमति दी और न ऐसी नौबत ही आयी। इस प्रकार विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकाडेड खातेदार है,जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति हो रही है, इसके विपरीत प्रार्थीगण का विवादित भूमि में कोई हक हकूक नहीं होने के कारण प्रथम दृष्यता मामला बनता ही नहीं हैं। इस प्रकार वक्त सेटलमेन्ट मौके पर काबिज अनुसार सही तौर से पर्चा लगान जारी हुए हैं। इसी कारण हरजीराम,मगनाराम, अमराराम व दुर्गाराम ने अपने जीवनकाल में इस संबंध में कभी एतराज विगत 75 वर्ष की अवधि में नहीं किया,वास्तव में उक्त भूमि में हरजीराम व मगनाराम के वारिसान का कोई हक हिस्सा होता,तो अवश्य ही इस संबंध में इतनी लम्बी समयावधि तक चुपचाप बैठे नहीं रहते,बल्कि विधिक कार्यवाही अवश्य करते,लेकिन हक हकूक नहीं होने के कारण कार्यवाही नहीं की गई। अभी विवादित भूमि की कीमतों में में अत्यधिक बढोतरी होने के कारण प्रार्थीगण लालच में आकर सारहीन वाद पेश किया हैं,जो चलने योग्य नहीं है। अतं में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थीगण को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित करनें में सफल नहीं हुई हैं,इसलिए प्रार्थीगण कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

5.हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम वांकियावास कलां तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 153,155,163 कुल क्षेत्रफल 27.8100 हैक्टयर भूमि एवं ग्राम नेवरी ढाणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 300 पर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन विन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के विन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्रष्यता मामला किसके पक्ष में वनता है,के संवध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर अनुतोष चाहा कि वक्त जागीरी के समय प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 4 से 8 के हकपूर्वाधिकारी हरजीराम को अपने पुश्तैनी नाई कार्य के लिए दो गांव की भूमि बांकियावास कलां व बांकियावास खुर्द में दी गई थी तथा वक्त सेटलमेन्ट पूर्व में कब्जा काश्त हरजीराम का होने के कारण उक्त गांव की भूमि हरजीराम के नाम वक्त सेटलमेन्ट दर्ज होने के वजाय ग्राम बांकियावास कलां भूलवंश विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के हकपूर्वाधिकारी सोनाराम के नाम गलत सहखातेदारी दर्ज हो गए,जो अवैध प्रविष्टि को विलोपित करवाते हुए खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के नाम करवाने का अनुतोष चाहा गया तथा इसी प्रकार ग्राम नेवरी की खसरा संख्या 300 में भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 से 8 का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा गया। वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से जो मुख्य अनुतोष चाहा है,वह मूलवाद मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि वादीगण/प्रार्थीगण विवादित आराजी मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थाई निषेघाज्ञा जारी करवाने के हकदार है अथवा नही। विषयक प्रकरण मे न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी पर स्थगन आदेश यथावत रखवाने के हकदार है अथवा नही। जिसमें पाया कि ग्राम–बांकियावास कलां की खसरा संख्या 155 सोनाराम, हरजीराम पिसरान भभूता कौम नाई सा.चारलाई के नाम खतौनी बंदोबस्त में दर्ज है तथा इसी ग्राम के खसरा संख्या 153 व 163 सोना, हरजी, मगना पिसरान भभूता कौम नाई सा. चारलाई के नाम दर्ज है,जो खतौनी बंदोबस्त की प्रमाणित प्रति जारी दिनांक 08.07.2016 अवलोकन से स्पष्ट है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत् 2012 से 2015,जमाबंदी संवत 2018 से 2021 जमांबंदी संवत 2020 से 2023,जमाबंदी संवत 2026 से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

2029 में भी चुतरा,देवा पिसरान सोना व अमरा, मांगीया पिसरान सोना कौम नाई सा.छाछरलाई कलां के नाम दर्ज है। इसी प्रकार खतौनी बंदोबस्त संवत् 2036 से 2040 तक ग्राम बांकियावास कलां की खसरा संख्या 155, 153, 153 कुल रकबा 171.16 बीघा भूमि चुतरा, देवा पिसरान सोना, अमरा, मांगिया पिसरान हरजी कौम नाई निवासी छाछरलाई कलां खातेदार के नाम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम नेवरी की खसरा संख्या 300 चुतरा,देवा पिसरान सोना कौम नाई सा.छाछरनाई कलां खातेदार के नाम दर्ज हुई थी,तत्पश्चात् इनके फौत होने पर वारिसान के नाम आदिनांक खातेदारी प्रविष्टि यथावत रकेर्ड में चली आ रही हैं। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट साबित है,कि वादग्रस्त भूमिया खसरा संख्या 153 व 163 में प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 व दुर्गा का परिवार व मगना के परिवार रिकार्डेड सहखातेदार है,जिनका वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक थोक का 1/3, 1/3 हिस्सा है तथा खसरा संख्या 155 में सोना व हरजी के परिवार का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा खसरा संख्या 300 विप्रार्थी की आवमी खातेदारी भूमि हैं। इस प्रकार विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकाडेड खातेदार है और रिकाडेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि विप्रार्थी की खातेदारी वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक चली आ रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा 75 वर्ष व्यतीत के बाद विप्रार्थी के हकपूर्वाधिकारी की विवादित भूमि में गलत प्रविष्टि अंकित होने का बताते हुए नाम विलोपित किए जाने का वाद लाया गया हैं,जो बिन्दु मूलवाद में तय होगा,न कि हस्तगत प्रकरण में। जबकि विप्रार्थी 1 की विगत 75 वर्षो से खातेदारी चली आ रही है,उक्त खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने से उसके हक हकूको पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा ही राजस्व रेकर्ड पेश किया है,जिसमें विप्रार्थी का खातेदारी हक हकूक होना प्रमाणित हैं। प्रार्थी पक्ष द्वारा विवादित भूमि के संबंध में पारिवारिक सहमति बंटवाडा दिनांक 03.06.2015 स्टाम्प 100/—की छायाप्रति व गांव प्रबुद्वजन के लिखित शपथ—पत्र पेश किए गए,जिससे विप्रार्थी का हक हकूक विवादित भूमि में नहीं होना बताया गया है,जो बिन्दु मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा,कि प्रार्थीगण राहत्र प्राप्त करने के हकदार है अथवा नहीं,लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर यह भली भांति साबित है कि प्रथम दृश्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बना हैं,क्योंकि विवादित भूमि खसरा संख्या 153, 155 व 163 के विप्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार हैं तथा ग्राम नेवरी की खसरा संख्या 300 प्रारम्भ से ही विप्रार्थी की आवगी खातेदारी चली आ रही हैं। इस कारण रिकार्डेड सहखातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना अपने आप में विधि विरूद्ध है,जबकि प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि में विप्रार्थी का हक हिस्सा नहीं बनता हो। केवल मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती है,उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से साबित

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

किया जाना आवश्यक होता है,जो प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता हैं। इस कारण खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। जैसा कि **1973 आर.आर.डी. 1973 पृष्ठ 526 भंवरसिंह बनाम नत्थूसिंह** मे प्रतिपादित हैं:–कि यदि वादी भू अभिलेख इन्द्राज से अपने को खातेदार साबित नही कर सकता तथा प्रतिवादी भू अभिलेख से खातेदारी प्रमाणित होता हो तो वादी को अस्थाई निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए। उक्त न्याय द्वष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रकृति पर पूर्णतया चस्पा है,क्योकि प्रार्थीगण विवादित भूमि खसरा संख्या 300 के खातेदार नही है और न ही प्रार्थीगण द्वारा प्रथम द्वयष्ता प्रकरण अपने पक्ष मे साबित कर पाए है। इसके विपरीत विप्रार्थी वक्त सेटलमेंट से आदिनांक रिकार्डेड खातेदारी चली आ रही है और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश पारित नही किया जा सकता है। इसी प्रकार **आर.आर.डी. 1978 पृष्ठ 377 सुमीखां बनाम मोहनसिंह** मे प्रतिपादित हैं:–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नही करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेघाज्ञा अनुचित है। इसी प्रकार **आर.आर.डी 1990 पृष्ठ 570 फूल्या बनाम ख्याली** मे प्रतिपादित है कि न्यायालय को राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर प्रथम द्वष्यता वाद,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखते हुए या तो अस्थाई निषेघाज्ञा स्वीकार की जानी चाहिए या प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता चाहिए,यथावत स्थिति का आदेश कोई अस्थाई निषेघाज्ञा का आदेश नही होता है। उक्त न्यायिक द्वष्टांत भी प्रकरण की प्रकृति पर चस्पा होता है,क्योकि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनता है,क्योकि प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता हो। ऐसी सूरत में प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्राथीगण के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सह–खातेदार है और रिकार्डेड सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वंतत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नहीं,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश यथावत रखे जाने का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिपादित है:–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण मे स्थगन आदेश यथावत रखे जाने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नही है। ऐसी सूरत मे सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी यथावत रखे जाने पर अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को होगी। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि का रिकार्डेड सह–खातेदार है और उन्हे स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य नही है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थीगण के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेशः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 31.7.2025 को अपास्त किया जाकर,प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा (राज.)

(अशोक कुमार) 11/11/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

11/11/2025
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा